आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन केन्द्र (CIQA)

समिति की चतुर्थ बैठक दिनांक 25 जुलाई, 2026 का कार्यवृत्त

दिनांक 25 जुलाई, 2026

समय पूर्वान्ह 10:30 बजे

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

नैनीताल, उत्तराखण्ड

आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन केन्द्र समिति की चतुर्थ बैठक दिनांक 25 जुलाई, 2026 को प्रातः 10:30 बजे आहूत की गयी, निम्नलिखित सदस्यों जिसमें पदाधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया :—

1. प्रो0 नवीन चन्द्र लोहनी कुलपति उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय	अध्यक्ष
2. प्रो0 जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव निदेशक अंतराष्ट्रीय विभाग, इग्नू	बाह्यसदस्य (ऑनलाईन)
3. प्रो0 विजय कुमार, निदेशक, सीका, इग्नू	बाह्य सदस्य
4. प्रो0 पी.डी0 पंत निदेशक, अकादमिक	सदस्य
5. प्रो0 आशुतोष कुमार भट्ट निदेशक, व्यावसायिक अध्ययन विद्याशाखा	सदस्य
6. प्रो0 प्रवेश कुमार सहगल निदेशक, विज्ञान विद्याशाखा	सदस्य
7. प्रो0 डिगर सिंह निदेशक, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा	सदस्य
8. प्रो0 मंजरी अग्रवाल निदेशक, व्यावसायिक अध्ययन विद्याशाखा	सदस्य
9. प्रो0 गगन सिंह निदेशक, प्रबन्ध अध्ययन एवं वाणिज्य विद्याशाखा	सदस्य
10. श्री खेमराज भट्ट कुलसचिव, उ0मु0वि0वि0	सदस्य
11. डॉ0 एच0सी0 जोशी सह प्राध्यापक, वानिकी	सदस्य
12. डॉ0 सुचित्रा अवस्थी सह प्राध्यापक, अंग्रेजी	सदस्य
13. डॉ0 भानु जोशी सह प्राध्यापक, योग	सदस्य
14. डॉ0 शशांक शुक्ला सह प्राध्यापक, हिन्दी	सदस्य
15. डॉ0 नीरजा सिंह सह प्राध्यापक, सामाजिक कार्य	सदस्य
16. प्रो0 गिरिजा प्रसाद पाण्डे निदेशक, सीका	सदस्य सचिव

आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन केन्द्र समिति की तृतीय बैठक दिनांक 25 जुलाई, 2026 का कार्यवृत्त

प्रस्ताव संख्या :- 4. 1 **आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन समिति की तृतीय बैठक 26-10-2025 के कार्यवृत्त की पुष्टि।**

आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन केन्द्र की दिनांक 2025-10-26 को सम्पन्न तृतीय बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही से समिति को अवगत करातें हुए उक्त बैठक का कार्यवृत्त समिति के समक्ष पुष्टि हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय– आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन केन्द्र की दिनांक 2025-10-26 को सम्पन्न तृतीय बैठक के कार्यवृत्त पर कृत कार्यवाही से अवगत होते हुए समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या :- 4. 2 **आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन केन्द्र की वार्षिक आख्या (ANNUAL REPORT) पर विचार व अनुमोदन ।**

समिति को अवगत कराया गया कि आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन केन्द्र द्वारा सत्र 2025–2026 की वार्षिक आख्या (ANNUAL REPORT) तैयार कर ली गई है। समिति के अनुमोदन के उपरान्त निर्धारित तिथि से पूर्व DEB के पोर्टल पर यह अपलोड की जाएगी। समिति के समक्ष अवलोकनार्थ व विचारार्थ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय– समिति द्वारा आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन केन्द्र द्वारा सत्र 2025–2026 की वार्षिक आख्या का अवलोकन किया गया तथा अनुमोदन प्रदान किया गया और निर्धारित तिथि से पूर्व कार्य परिषद से अनुमोदन प्राप्त कर DEB की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने की स्वीकृति की गई।

प्रस्ताव संख्या :- 4. 3 **AQAR से सम्बन्धित NAAC द्वारा जारी किए नये दिशा निर्देशों पर विचार।**

समिति को सूचित किया गया कि आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन केन्द्र द्वारा सत्र 2024–25 की रिपोर्ट तैयार कर ली गई है तथा 2025–26 की प्रक्रिया गतिमान है। उक्त वार्षिक आख्यायें समिति के संज्ञानार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। गत वर्ष से उक्त आख्या नैक पोर्टल में अपलोड किये जाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। NAAC पोर्टल उपलब्ध होने पर उक्त आख्यायें अपलोड कर दी जायेंगी।

निर्णय– वर्तमान में NAAC पोर्टल पर AQAR को अपलोड किये जाने हेतु लिंक उपलब्ध नहीं है। NAAC के नए निर्देशों तक प्रतीक्षा किये जाने से अवगत कराया गया है। तद्नुसार नये दिशा–निर्देश प्राप्त होने पर अपलोड करने की कार्यवाही की जाएगी।

प्रस्ताव संख्या :- 4. 4 **सत्र 2025–26 के लिए निर्धारित वार्षिक केलेंडर के लक्ष्यों तथा कृत कार्यवाही की अद्यतन स्थिति से समिति को अवगत कराना।**

सत्र 2025–26 हेतु वार्षिक कार्य योजना तैयार की गई। उक्त कार्य योजना की प्रगति से समिति को अवगत कराना तथा मार्गदर्शन प्राप्त करना।

निर्णय– सत्र 2025–26 की कार्य योजना को समिति के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा वार्षिक कार्य योजना के अन्तर्गत की गयी गतिविधियों की समीक्षा की गयी। निदेशक, सीका द्वारा अवगत कराया गया कि सीका द्वारा वर्ष 2025–26 की कार्य योजना को शत–प्रतिशत क्रियान्वित किया जा चुका है, इस पर सीका के इस कार्य की प्रशंसा समिति द्वारा की गयी।

प्रस्ताव संख्या :- 4. 5 **सत्र 2026–27 के लिये प्रस्तावित वार्षिक कार्य योजना पर विचार एवं अनुमोदन।**

वर्तमान सत्र 2026–27 हेतु आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन केन्द्र द्वारा प्रस्तावित कार्ययोजना समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय– सत्र 2026–27 की कार्ययोजना समिति के अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गयी, समिति द्वारा कार्ययोजना को अनुमोदित किया गया।

प्रस्ताव संख्या :- 4. 6 **आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन केन्द्र द्वारा नैक के मानकों के दृष्टिगत विश्वविद्यालय के विभिन्न अनुभागों में गुणवत्ता और कार्यदक्षता लाये जाने के लिए आयोजित समीक्षा बैठकों के सुझावों से समिति को अवगत कराना ।**

आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन केन्द्र द्वारा विश्वविद्यालय के समस्त अनुभागों की समीक्षा बैठकें आयोजित की गई। बैठक की आख्यायें समिति के संज्ञानार्थ व विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय– समिति के समक्ष विभिन्न अनुभागों के साथ सम्पन्न समीक्षा बैठकों के कार्यवृत्त प्रस्तुत किये गये, जिसका समिति ने अवलोकन किया एवं अध्यक्ष महोदय द्वारा कार्यवृत्त में वर्णित दिशा–निर्देशों के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिये गये।

प्रस्ताव संख्या :- 4. 7 **CIQA द्वारा आयोजित व्याख्यान श्रृंखलाओं का आरम्भ एवं विशेष व्याख्यानों के माध्यम से आयोजित गुणवत्ता एवं क्षमता संवर्धन गतिविधियों का संज्ञान।**

CIQA द्वारा शैक्षणिक सत्र 2025–26 के दौरान गुणवत्ता आश्वासन, क्षमता वर्धन,NAAC ODL, AI आधारित शिक्षण, कौशल आधारित शिक्षा तथा प्रशासनिक दक्षता से संबंधित विभिन्न कार्यशालायें व विशेष व्याख्यान आयोजित किये गए। कार्यशालाओं व विशेष व्याखानों की विस्तृत सूची समिति के संज्ञानार्थ प्रस्तुत की गई। सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि गुणवत्ता के सम्बन्ध में 04, संवर्धन क्षमता हेतु 08, NAAC के सम्बन्ध में 03, कौशल आधारित शिक्षा व प्रशासनिक दक्षता के सम्बन्ध में 03 कार्यक्रम आयोजित किए गए।

निर्णय– शैक्षणिक सत्र, 2025–26 में सीका द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यशालाओं से समिति को अवगत कराया गया, जिसकी समिति द्वारा सराहना की गयी। इसके अतिरिक्त समिति को यह भी अवगत कराया गया कि सीका द्वारा भारत के पूर्व उप नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक को पूर्व महानिदेशक, डी0आर0डी0ओ0

तथा वर्तमान में तकनीकी विज्ञान एवं नवाचार परिषद् के सदस्य को भी विशेष व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया गया है।

प्रस्ताव संख्या :- 4. 8 **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), UGC एवं अन्य नियामक निकायों के मानकों के अनुरूप विश्वविद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करने हेतु शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों की कमी को पूर्ण किये जाने हेतु निर्णय लिए जाने पर विचार।**

समय–समय पर सीका के सहयोग से विभिन्न हितधारकों के साथ आयोजित बैठकें आयोजित की गई। इन बैठकों में राज्य सरकार के विभागों में कार्यरत शीर्ष अधिकारी, विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक भी सम्मिलित रहे, जिनके द्वारा विश्वविद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुसंधान, छात्र सहायता सेवाओं एवं प्रशासनिक कार्यों के प्रभावी संचालन हेतु आवश्यक शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों की आवश्यकता पर विचार–विमर्शकर, आवश्यक निर्णय लिए जाने पर बल दिया गया। इस सम्बन्ध में यू0जी0सी0 तथा डी0ई0बी0 द्वारा भी किसी पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए शैक्षणिक संकाय, प्रशासनिक कर्मचारी तथा तकनीकी कार्मिकों की आवश्यकता को समयानुसार पूर्ण करने के दिशा–निर्देश दिए गए है। वर्तमान में अनेक कार्य, स्वीकृत पदों के अभाव में सीमित मानव संसाधन द्वारा संपादित किए जा रहे हैं, जिससे कार्मिकों पर कार्यभार बढ़ने के साथ–साथ उनके सेवा–सुरक्षा, कैरियर उन्नयन एवं भविष्य की संभावनाओं के प्रति अनिश्चितता उत्पन्न होती है। अतः संस्थागत गुणवत्ता, कार्यकुशलता एवं कार्मिकों के मनोबल को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए आवश्यक पदों के सृजन की स्वीकृति पर विचार अपेक्षित है। दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा के लिए सशक्त शिक्षा माध्यम के रूप में उभरे कम्युनिटी रेडियो में कार्य अनुसार विशेष पदों के सृजन की आवश्यकता भी वर्तमान समय की मांग है।

निर्णय– विस्तृत विचार–विमर्श के उपरांत समिति द्वारा यह सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, अनुसंधान, छात्र सहायता सेवाओं तथा प्रशासनिक कार्यों के प्रभावी संचालन हेतु यू0जी0सी0 तथा डी0ई0बी0 के मानकों एवं न्यूनतम आवश्यकताओं के अनुरूप शैक्षणिक, गैर–शैक्षणिक एवं तकनीकी पदों का सृजन अत्यावश्यक है। अतः शासन से निर्धारित न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार नियमित पदों के सृजन एवं स्वीकृति प्रदान किए जाने का अनुरोध करने हेतु विस्तृत प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाए। साथ ही, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा प्रणाली के प्रभावी संचालन तथा विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो के सुचारु संचालन एवं विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए कार्यभार एवं तकनीकी आवश्यकता के अनुरूप आवश्यक पदों के सृजन का प्रस्ताव भी शासन को प्रेषित किया जाय और विश्वविद्यालय के सुव्यवस्थित संचालन हेतु कार्मिकों के ढांचे की मांग की जाय।

प्रस्ताव संख्या :- 4. 9 **विश्वविद्यालय में नियोजित सहायक प्राध्यापक (ए0सी0) एवं दैनिक वेतन भोगी, नियत वेतन भोगी कर्मचारियों के मासिक मानदेय में वृद्धि किये जाने पर विचार।**

विश्वविद्यालय में नियोजित सहायक प्राध्यापकों (ए0सी0), दैनिक वेतनभोगी एवं नियत वेतनभोगी कार्मिकों को लम्बे समय से दी जा रही मानदेय की दरें पुनरीक्षित नहीं हुई है। इसका सीधा प्रभाव उनकी कार्यकुशलता और दक्षता पर पड़ रहा है। महंगाई सूचकांक के अनुरूप मासिक भुगतान न होने से कार्य के प्रति समर्पण में कमी आई है। मासिक मानदेय में वृद्धि किए जाने के संबंध में विचार–विमर्श एवं आवश्यक निर्णय विचाराधीन है। वर्तमान में उक्त कार्मिक विश्वविद्यालय के शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं अन्य आवश्यक कार्यों के सुचारु संचालन में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रहे हैं। समय के साथ बढ़ती महँगाई, जीवन–यापन की लागत तथा कार्यदायित्वों में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए उनके मानदेय का

युक्तिसंगत पुनरीक्षण आवश्यक प्रतीत होता है। इससे कार्मिकों का मनोबल, कार्य–प्रेरणा एवं संस्थान के प्रति प्रतिबद्धता सुदृढ़ होगी तथा विश्वविद्यालय के कार्यों के प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन में भी सकारात्मक वृद्धि होगी। समिति उक्त स्थितियों से अवगत हुई। समिति के संज्ञान में लाया गया कि देश के अनेक मुक्त विश्वविद्यालयों, पारम्परिक विश्वविद्यालयों में अस्थाई तौर पर कार्यरत सहायक प्राध्यापकों को रू0 55,000 से 60,000 मासिक मानदेय दिया जा रहा है।

इस हेतु शासन को अवगत कराया जाय और शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया जाय। व्ययभार शासन अथवा विश्वविद्यालय द्वारा वहन किये जाने पर भी अनुमोदन लिया जाय।

निर्णय– समिति द्वारा विस्तृत विचार–विमर्श उपरांत यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में कार्यरत सहायक प्राध्यापकों (A.C), दैनिक वेतनभोगी एवं नियत वेतनभोगी कार्मिकों के मानदेय के युक्तिसंगत पुनरीक्षण के संबंध में समिति का गठन किया जाय। तत्क्रम में निम्नवत समिति गठित की गई :–

1. प्रो0 पी0डी0 पंत — अध्यक्ष
2. प्रो0 मंजरी अग्रवाल — सदस्य
3. प्रो0 गगन सिंह — सदस्य
4. डॉ0 एच0सी0 जोशी — सचिव

उक्त समिति देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों, मुक्त विश्वविद्यालयों, समकक्ष उच्च शिक्षण संस्थानों में कार्यरत संविदा/मानदेय आधारित शिक्षकों एवं अन्य कार्मिकों को देय मानदेय का तुलनात्मक अध्ययन करेगी। समिति विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति एवं बजटीय प्रावधानों का संज्ञान लेते हुए मानदेय पुनरीक्षण के संबंध में अपनी संस्तुतियाँ एवं अस्थायी सहायक प्राध्यापकों की चयन प्रक्रिया आदि के सन्दर्भ में विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगी। समिति की संस्तुतियों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचारोपरांत आवश्यकतानुसार शासन को अनुमोदन एवं स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्रस्ताव संख्या :- 4. 10 विश्वविद्यालय में शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यों के आधुनिकीकरण तथा ई–गवर्नेंस को सुदृढ़ बनाने हेतु कंप्यूटर, सर्वर, नेटवर्किंग उपकरण एवं अन्य आवश्यक सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अवसंरचना के विकास एवं उन्नयन पर विचार–विमर्श एवं आवश्यक निर्णय।

विश्वविद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण–अधिगम, ऑनलाइन शिक्षा, परीक्षा संचालन, ई–गवर्नेंस एवं प्रशासनिक कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण पर विचार–विमर्श एवं आवश्यक निर्णय लिये जाने प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत नवीन कंप्यूटर, सर्वर, नेटवर्किंग उपकरण, स्मार्ट कक्षाओं, ऑडियो–वीडियो उपकरण, सॉफ्टवेयर, डेटा भंडारण तथा अन्य आवश्यक आईटी संसाधनों की उपलब्धता एवं उन्नयन की आवश्यकता पर भी विचार किया जाना है।

निर्णय– समिति द्वारा विश्वविद्यालय की सूचना प्रौद्योगिकी (ICT) अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त गई। समिति ने निर्देशित किया कि विश्वविद्यालय की सूचना सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा सम्परीक्षा (Security Audit) की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर प्रारम्भ की जाए। इस संबंध में प्रो0 आशुतोष भट्ट को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा सुरक्षा ऑडिट की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कराते हुए अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। यह भी सुझाव दिया गया कि पहले बाहय विशेसज्ञ से विश्वविद्यालय स्तर पर ऑडिट कराया जाय तत्पश्चात् किसी अधिकृत संस्थान से अन्तिम ऑडिट करवा कर प्रमाण–पत्र लिया जाय। साथ ही, नवीन कम्प्यूटर, सर्वर, नेटवर्किंग उपकरण, स्मार्ट कक्षाओं, ऑडियो–वीडियो उपकरण, सॉफ्टवेयर, डेटा भंडारण एवं अन्य आवश्यक आईटी संसाधनों के विकास एवं उन्नयन से संबंधित कार्यों पर भी त्वरित कार्यवाही करते हुए यथाशीघ्र कार्ययोजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने की अपेक्षा व्यक्त की गई।

प्रस्ताव संख्या :- 4. 11 **विश्वविद्यालय की परीक्षा एवं मूल्यांकन प्रणाली में गुणवत्ता, निष्पक्षता, एकरूपता एवं दक्षता सुनिश्चित करने हेतु मूल्यांकन व्यवस्था मजबूत करने के तथा कार्य व परिणामोन्मुख बनाने के सम्बन्ध में विचार–विमर्श एवं आवश्यक निर्णय तथा समय पर परिणाम घोषित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किये जाने पर विचार।**

विगत दिनों में आयोजित विभिन्न बैठकों में विश्वविद्यालय की परीक्षा एवं मूल्यांकन प्रणाली में गुणवत्ता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, एकरूपता एवं दक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय मूल्यांकन व्यवस्था विकसित किए जाने तथा सत्रीय कार्य एवं मूल्यांकन प्रणाली को अधिक प्रभावी, मानकीकृत, प्रौद्योगिकी–सक्षम एवं परिणामों पर आधारित बनाए जाने के संबंध में विचार–विमर्श किया गया। तथा आवश्यक सुधार लाये जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। वर्तमान में मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक समयबद्ध, विश्वसनीय एवं परिणामोन्मुख बनाने की आवश्यकता दृष्टिगत है। इस हेतु केन्द्रीय मूल्यांकन व्यवस्था को और बेहतर, डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली के उपयोग तथा सत्रिय कार्य आधारित सतत् मूल्यांकन की गुणवत्ता में सुधार के उपायों पर विचार किया जाना अपेक्षित है, जिससे विद्यार्थियों को निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन उपलब्ध कराया जा सके तथा विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता में सतत् सुधार सुनिश्चित हो।

निर्णय– निदेशक, सीका द्वारा अवगत कराया गया कि केन्द्रीय मूल्यांकन व्यवस्था के द्वारा मूल्यांकन कराने के परिणामस्वरूप गत सेमिस्टर का परीक्षाफल विश्वविद्यालय द्वारा मात्र 17 दिनों में घोषित किया गया, जिसकी अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रशंसा की गयी। समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में गत वर्ष संचालित केन्द्रीय मूल्यांकन व्यवस्था के अनुभवों एवं प्राप्त फीडबैक का सम्यक् विश्लेषण करते हुए उसमें आवश्यक सुधार किए जाएँ। आगामी परीक्षाओं में केन्द्रीय मूल्यांकन प्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी, समयबद्ध एवं प्रौद्योगिकी–सक्षम स्वरूप में संचालित करने हेतु विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाए। साथ ही, मूल्यांकन प्रक्रिया के मानकीकरण, डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली के अधिकाधिक उपयोग, मूल्यांकनकर्ताओं के उन्मुखीकरण तथा सत्रीय कार्य आधारित सतत् आंतरिक मूल्यांकन प्रणाली को और अधिक गुणवत्तापूर्ण एवं परिणामोन्मुख बनाए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जाए। इस संबंध में मूल्यांकन समिति को आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही करते हुए अनुपालन आख्या अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाने का सुझाव दिया गया। परीक्षा से सम्बन्धित आंकड़ों के सुचारू उपयोग के लिए ऑटोमेशन प्रक्रिया को और सुदृढ़ तथा पारदर्शी बनाया जाय। शिक्षार्थियों की प्रगति के आंकलन के लिए शोध अधिकारियों तथा गणित–सांख्यिकी से जुडे प्राध्यापकों की समिति बनाकर उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण कराया जाय। और विगत वर्षों की वर्षवार आख्या तैयार करा ली जाय।

प्रस्ताव संख्या :- 4. 12 **विभिन्न संवर्गों में शोधपत्रों की गुणवत्ता का आकंलन किये जाने एवं सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति प्रक्रिया में गुणवत्ता और पारदर्शिता लाये जाने हेतु प्रथम चरण में स्क्रीनिंग के लिये लिखित परीक्षा का आयोजन एवं शोध पत्रों की गुणवत्ता आंकलन हेतु शोध जर्नल, पत्रिकाओं की सूची निर्गत किये जाने की आवश्यकता पर बल।**

विश्वविद्यालय अधिनियम के अध्याय–6 में चयन के लिए अंको का निर्धारण यू0जी0सी0 अधिनियम, 2018 के अनुसार किया जाना वर्णित है। सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर रिट याचिका संख्या–152/2011S/B)) में दिये गये निर्णयानुसार नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन किये जाने का परामर्श दिया गया है। यह प्रक्रिया कोविड से पूर्व प्रचलन में थी। सहायक प्राध्यापक/सह प्राध्यापक/प्राध्यापक संवर्ग के चयन में शोध पत्रों के अंक दिये जाते हैं। विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय–6 के अनुसार केवल उन्हीं शोध पत्रों को

गणना में सम्मिलित किया जाएगा जो सन्दर्भित जर्नल्स अथवा प्रतिष्ठित जर्नल्स में प्रकाशित हैं। जर्नल्स के स्तर का आंकलन सम्बन्धित विभाग की स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा किया जाएगा।

निर्णय– उक्त बिन्दु पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा यह अनुंशसा की गई कि विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक की चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा का आयोजन नियमानुसार किया जाए एवं विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय–6 के अनुसार मात्र सन्दर्भित जर्नल्स अथवा प्रतिष्ठित जर्नल्स में प्रकाशित शोध पत्रों को गणना में सम्मिलित किया जाए। इस हेतु एक समिति गठित की जाय और विश्वविद्यालय स्तर पर शोध जर्नलस की सूची तैयार की जाय। तथा बाह्य विशेषज्ञों से भी इस सूची पर राय ले ली जाय। ऐसी सूची को प्राधिकारी संस्थाओं द्वारा अनुमोदित करवा लिया जाय। जर्नल्स के स्तर का आंकलन सम्बन्धित विभाग की स्क्रीनिंग कमेटी से भी करवा लिया जाय। गैर–शैक्षणिक पदों में लिये जाने वाले आवेदनों को आवश्यक कौशल का परीक्षण करने के उपरान्त ही नियोजित किया जाय। समिति द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई सूची का भी संज्ञान लिया जाय।

प्रस्ताव संख्या :- 4. 13 समय पर प्रोन्नति एवं पुनरक्षित वेतनमान तथा वेतनमान वृद्धि नियमानुसार दिया जाना।

विश्वविद्यालय में कार्यरत नियमित प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक को मिलने वाली वार्षिक वृद्धि, कल्पित (नोशनल) वेतन वृद्धि व प्रोन्नति सम्बन्धी मुद्दे भी नियमानुसार व समयानुसार निर्धारित किये जाने पर भी आवश्यक निर्णय लिए जाने है।

निर्णय– समिति द्वारा विचार–विमर्श के उपरांत यह अनुसंशा की गई कि विश्वविद्यालय में कार्यरत नियमित प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापकों को देय वार्षिक वेतनवृद्धि, कल्पित वेतनवृद्धि, पुनरीक्षित वेतनमान एवं पदोन्नति से संबंधित प्रकरणों का निस्तारण प्रचलित शासनादेशों, यूजीसी विनियमों एवं विश्वविद्यालय के अधिनियम/परिनियमों के अनुरूप समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाए। यदि किसी प्रकरण में नियमों की व्याख्या अथवा वेतन निर्धारण, पुनरीक्षित वेतनमान, कल्पित वेतनवृद्धि अथवा पदोन्नति के संबंध में किसी प्रकार की शंका अथवा जटिलता उत्पन्न होती है, तो आवश्यकतानुसार संबंधित विषय के बाह्य विशेषज्ञों से परामर्श लिया जा सकता है। विशेषज्ञों की संस्तुतियों के आधार पर प्रकरणों का विधिसम्मत एवं पारदर्शी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

प्रस्ताव संख्या :- 4. 14 नैक के दृष्टिगत विभिन्न ऑडिट समितियों का गठन।

सीका द्वारा नैक के दृष्टिगत विभिन्न ऑडिट समितियों के निर्माण के लिए सम्बंधित विभागों को सूचित किया गया व इस सम्बन्ध में यथा समय आवश्यक कार्यवाही करने का सुझाव दिया गया, जिसके परिणामस्वरुप ऊर्जा ऑडिट, आपदा न्यूनीकरण, ग्रीन ऑडिट, पर्यावरण ऑडिट, अग्निशमन ऑडिट जैसी अनेक समितियों का गठन किया गया है।

निर्णय– इस संबंध में समिति द्वारा यह सुझाया गया कि सभी आवश्यक ऑडिट समितियों की बैठकें समयानुसार आयोजित की जाए, ताकि उनके द्वारा दिए गये दिशा–निर्देश पर आवश्यक कार्यवाही की जा सके। यह भी सुझाव दिया गया कि वित्तीय प्रबन्धन और पारदर्शिता के लिए आन्तरिक ऑडिट प्रकोष्ठ भी स्थापित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या :- 4. 15 **नैक के दृष्टिगत कार्यालय में शोध कार्य को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न नीतियों का पुनरावलोकन।**

सीका द्वारा नैक विज़िट के दौरान सुझाए गए विभिन्न बिन्दुओं पर कार्य किया जा रहा है। इसमें मुख्यतः शोध के क्षेत्र में विश्वविद्यालय के शिक्षकों व शोध छात्रों के लिए विभिन्न शोध प्रोत्साहन योजनाएं लागू की गई हैं। साथ ही विश्वविद्यालय में विभिन्न गतिविधियों हेतु बनाई गई नीतियों की समीक्षा का कार्य भी प्रगति पर है। इसमें मुख्यतः प्रवेश, परीक्षा व OER से सम्बन्धित नीतियाँ सम्मिलित हैं।

निर्णय– समिति द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि नैक विजिट के दौरान सुझाए गए सभी बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए तथा आगामी नैक विजिट से सम्बन्धित सभी कार्यों में बदलावों के अनुरूप विश्वविद्यालय द्वारा तैयारी कर ली जाए। प्रो0 विजय कुमार द्वारा सुझाव दिया गया कि शोध एवं नवाचार हेतु शोध विकास केन्द्र की स्थापना की जाय। साथ ही यह भी सुझाव दिया कि भविष्य में होने वाली सभी बैठकों को पेपर रहित आयोजित करने के लिए तकनीकी का उपयोग किया जाए।

प्रस्ताव संख्या :- 4. 16 **अन्य प्रसंग अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।**

निर्णय– इस बिन्दु पर अलग से कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

अन्त में बैठक अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्पन्न हुई।

(प्रो0 गिरिजा प्रसाद पाण्डे)
सदस्य सचिव

(प्रो0 नवीन चन्द्र लोहनी)
अध्यक्ष / कुलपति